



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102024-257821
CG-DL-E-13102024-257821

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4121]

नई दिल्ली, रविवार, अक्टूबर 13, 2024/आश्विन 21, 1946

No. 4121]

NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 13, 2024/ASVINA 21, 1946

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लदाख मामलों का विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4484(अ).—भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239क के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में तारीख 31 अक्टूबर, 2019 का आदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के अधीन मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले प्रतिसंहत हो जाएगा।

द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति।

[फा. सं. 11014/05/2014-के. I/III]

गोविंद मोहन, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2024

S.O. 4484(E).—The following Order issued by the President of India is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) read with articles 239 and 239A of the Constitution of India, the Order dated the 31st October, 2019 in relation to the Union territory of Jammu and Kashmir shall stand revoked immediately before the appointment of the Chief Minister under section 54 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019.

DROUPADI MURMU

President.

[F. No. 11014/05/2014-K.I/III]

GOVIND MOHAN, Home Secy.